Impact Factor-8.575 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

November - 2022

ISSUE No- CCCLXXV) 375- E

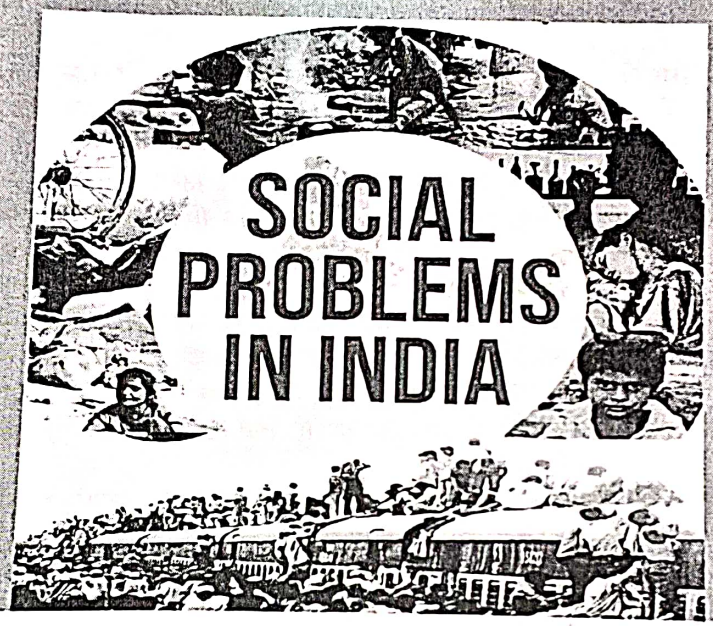

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor
Dr. Baliram Pawar
Head, Department of Sociology
Mahatma Phule College Kingaon Latur
Maharashtra

Editor
Dr.Manashi Gogoi Borgohain
Head, Department of Education
Nandalal Borgohain City College ,
Dibrugarh , Assam

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

B.Aadhar International Peer-Reviewed Indexed Research Journal
Impact Factor -(SJIF) -8.575, Issue NO, 375 (CCCLXXV) E
ISSN : 2278-9308 November, 2022

विवाह: सामाजिक व्यवस्था का आधार

डॉ. स्मिता कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शनशास्त्र विभाग एम.एम.महिला कॉलेज (वी.के.एस.यू.) आरा
मो.–7004229831, smitakumari82@gmail.com

विवाह एक सार्वभौम संस्था है जो प्रत्येक समाज या काल में पाया जाता है। यह एक पीढ़ी तक स्थानान्तरित होती रहती है। पूरे परिवार का अस्तित्व विवाह पर निर्भर रहता है।विवाह से विवाह करने की पद्धति का बोध होता है। यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है जो यौन संबंध पर आधारित सामाजिक स्वीकृति है। विवाह में पुरूष और स्त्री स्थायी रूप से एक सूत्र में बँध जाते हैं। विवाह में कुछ अधिकार एवं कर्त्तव्य की भावना रहती है। ये अधिकार और कर्त्तव्य भिन्न–भिन्न समाज में भिन्न–भिन्न प्रकार के हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार काम मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के नियमन के लिए विवाह–जैसी संस्था का क्रमशः प्रथाओं तथा रीतियों के अनुसार धीरे–धीरे विकसित होती है। इसलिए विवाह के तरीके अलग–अलग समाज में अलग–अलग प्रकार के हैं। कहीं धार्मिक यज्ञों द्वारा, कहीं गिरजे में अँगूठी बदलकर या किसी अन्य रूप में विवाह सम्पन्न किया जाता है।

विभिन्न विद्वानोंने विवाह की भिन्न–भिन्न परिभाषाएँ दी हैं:–

१. बोगार्डस– विवाह स्त्रियों और पुरूषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करानेवाली संस्था है।

२. वेस्टरमार्क– विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होनेवाला वह संबंध है जो प्रायः कानून द्वारा मान्य होता है तथा जिसमें विवाह करनेवाले व्यक्तियों को और उनसे उत्पन्न होनेवाले बच्चों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का समावेश होता है।

३. हॉबेल– विवाह सामाजिक नियमों का एक जाल है, जो कि विवाहयुग्म के पारस्परिक उनके रक्त संबंधियों, बच्चों तथा समाज के प्रति उनके संबंधों को विभाजित एवं परिभाषित करता है।

४. डॉ० राधाकृष्णन्– विवाह एक संस्था के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति और विकास का एक साधन है।

इसतरह विवाह का मूल आधार स्त्री–पुरूष का संबंध है। ऐसे संबंधो को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और इसी स्थिति में विवाह एक संस्था है। विवाह के पूर्व भी मनुष्यों के यौन–संबंध है, लेकिन ऐसे संबंधों को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। संसार के प्रत्येक समाज में मनुष्य के यौन–संबंधो की नियमन के किसी न किसी रूप में व्यवस्था पाई जाती है।

विवाह के भिन्न रूप या प्रकार–

मैकलिनेन और स्पेन्सर आदि लेखकों का कथन है कि विवाह का विन्यास अनियत सम्भोग की अवस्था से शुरू होकर एक–विवाह तक पहुँचा है। किन्तु अनियत सम्भोग को विवाह का रूप देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह अस्थायी सम्बन्ध है। समाज के द्वारा अनियत सम्भोग की पुष्टि भली प्रकार नहीं होती।

सर्वप्रथम, विवाह के दो प्रकार मिलते हैं– बहिर्विवाह और अन्तर्विवाह।

भारत में बहिर्विवाह के कई रूप हैं– गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह।

गोत्र बहिर्विवाह– गोत्र का अर्थ है रक्त की निकटता। गोत्र आठ ऋषियों, विश्वमित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य के सन्तान को भी कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार एक गोत्र के स्त्री–पुरूप से विवाह वर्जित है। सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है।

प्रवर बहिर्विवाह– प्रवर के अन्तर्गत एक व्यक्ति के उन पूर्वजों का समावेश होता है जो अग्नि की पूजा करते हैं। यह प्रथा अब समाप्त हो गई है।

सपिंड बहिर्विवाह– सपिंड का अर्थ निकट के रक्त–सम्बन्धियों से है। माता की ओर से अब तीन पीढ़ियों तक और पिता की ओर पाँच पीढ़ियों तक के सम्बन्धी सपिंड माने जाते हैं। हिन्दू समाज में सपिंड विवाह वर्जित है।